



बिहार सरकार

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975)

(Email=bsmfclpatna-bih@gov.in, website:www.bsmfc.org)



संख्या:-----/ बी० एस० एम० एफ० सी०, /

पटना, दिनांक: -----

वसूली अभिकर्ता की आवश्यकता

राज्य के ऐसे लाभान्वित अल्पसंख्यकों जिन्हें बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा विभिन्न व्यवसायों के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार की ऋण योजनाओं में आसान किस्त एवं कम ब्याज दर पर ऋण राशि मुहैया कराया गया, वैसे सभी जिलों के ऋणधारकों से किस्तों की वसूली करने हेतु सभी जिलों में आवश्यकतानुसार वसूली अभिकर्ताओं की सेवा लिया जाना है तथा भविष्य में सेवा लेने के लिए एक पैनल का निर्माण किया जाना है। वसूली अभिकर्ताओं को वसूली की गयी राशि का निर्धारित कमीशन के साथ-साथ नियत यात्रा/भ्रमण भत्ता भुगतान होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ भी देय नहीं होगा तथा ये कार्य पूर्णतः अस्थाई है। उनका निगम में सेवा नियमितकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। कार्य समाप्ति या किसी भी अन्य कारण से वसूली अभिकर्ता का बिना किसी नोटिस के कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा। साथ ही जिन वसूली अभिकर्ता द्वारा लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं की जायेगी उन्हें वसूली अभिकर्ता की सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा।

वसूली अभिकर्ता की सेवा लेने हेतु न्यूनतम अर्हता का निर्धारण निम्नरूपेण किया गया है।

1. आयु सीमा:- न्यूनतम आयु 18 वर्ष-
2. शैक्षणिक योग्यता:- न्यूनतम मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण
3. बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए
4. वसूली अभिकर्ता की निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन किया जायेगा परंतु माइक्रो क्रेडिट संस्था / LIC / GIC / बैंक में कार्यरत या अनुभव प्राप्त अभिकर्ता को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र (पूर्ण बायोडाटा), दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड एवं प्रवेशिका प्रमाण पत्र, एवं अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० अब्दुल कय्यूम अंसारी मेमोरियल भवन, 34 हार्डिंग रोड (अली इमाम पथ) पटना-800001 में हाथों-हाथ या डाक के माध्यम से दिनांक-...20-1-2020 तक जमा कर सकते हैं।

नोट:- चयन के पश्चात् उम्मीदवार को एक हजार रुपये के बाण्ड पेपर पर निगम के साथ एकरारनामा करना होगा ! साथ ही एक सरकारी कर्मी की गारन्टी भी देनी होगी। अनुमंडलवार वसूली अभिकर्ता की रिक्तियों की संख्या निगम के वेबसाइट www.bsmfc.org पर देखी जा सकती है।

प्रबन्ध निदेशक

आवश्यकता

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, बिहार, पटना के अधीन मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत निम्नलिखित जिलों में ऋण वसूली हेतु निम्न रिक्त पदों के विरुद्ध वसूली अभिकर्ता की नियुक्ति किया जाना है:-

क्रमांक	जिला का नाम	अनुमण्डलवार रिक्ती	कुल पदों की संख्या
1.	अररिया	अररिया अनुमण्डल-17 काबिसगंज -1	18
2.	औरंगाबाद	दाउद नगर-3 औरंगाबाद-2	5
3.	बेगुसराय	बेगुसराय-5	5
4.	भभुआ	मोहनिया-3 भभुआ-2	5
5.	भागलपुर	भागलपुर सदर-2	2
6.	भोजपुर	आरा सदर-4	4
7.	बक्सर	डुमराव-1	1
8.	दरभंगा	दरभंगा सदर-11 बिरौल-5 बेनीपुर-3	19
9.	पूर्वी चम्पारण	अरेराज-3 सिकरहना-2 मोतिहारी-2 रक्सौल-1	8
10.	गया	गया सदर-7 शेर घाटी-2	9
11.	गोपालगंज	गोपालगंज सदर-3	3
12.	जमुई	जमुई सदर-3	3
13.	जहानाबाद	सदर-2	2
14.	कटिहार	कटिहार-14 मनिहारी-2 बारसोई-1	17
15.	किशनगंज	किशनगंज-18	18
16.	लखीसराय	लखीसराय-2	2
17.	मधेपुरा	मधेपुरा-3	3
18.	मधुबनी	सदर-1	1

19.	मुंगेर	सदर-4	4
20.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर पूर्वी-5 मुजफ्फरपुर पश्चिमी-3	8
21.	नालन्दा	बिहार शरीफ-4	4
22.	नवादा	नवादा-1	1
23.	पटना	सदर-19 दानापुर-2	21
24.	पूर्णिया	बायसी-11 सदर-11	22
25.	रोहतास	बिक्रमगंज-1 सासाराम-1	2
26.	सहरसा	सहरसा-7	7
27.	समस्तीपुर	समस्तीपुर-6	6
28.	सारण	सदर-7 मरठौरा-2	9
29.	शिवहर	शिवहर-1	1
30.	सीतामढ़ी	पूपरी-8 सदर-6	14
31.	सीवान	सदर-1	1
32.	सुपौल	सुपौल-3 बीरपुर-1	4
33.	वैशाली	हाजीपुर-4 महुआ-1	5
34.	पश्चिम चम्पारण	बेतिया-4 नरकटियागंज-3 बगहा-2	9